

वलिफुल डफिऑल्टर हेतु शीघ्र NPA लेबलिंग

प्रलिस के लयि:

वलिफुल डफिऑल्टर, [NPA](#), [RBI](#), [ARC](#)

मेन्स के लयि:

सामान्य अध्ययन पेपर-3, NPA की चुनौतियाँ, NPA समाधान के प्रावधान, बैंकिंग क्षेत्र, संसाधन जुटाना, बैड बैंक

[स्रोत :इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रजिस्टर बैंक \(RBI\)](#) ने एक मसौदे में प्रस्ताव दिया है कि ऋणदाताओं को अपने खाते को [गैर-नशिपावति परसिंपत्तयि\(NPA\)](#) घोषित किये जाने के छह माह के अंदर एक उधारकर्ता को वलिफुल डफिऑल्टर के रूप में वर्गीकृत करना चाहिये।

RBI ड्राफ्ट की मुख्य वशिषताएँ:

- नई व्यवस्था के तहत ऋणदाता को नरिदषिट छह माह की समय सीमा के अंतर्गत वलिफुल डफिऑल्टर उधारकर्ताओं की पहचान करनी होगी, जबकि पूर्व की प्रणाली में ऐसी कोई समय बाधा नहीं थी।
 - ऋणदाताओं को **NPA बनने के 6 माह के भीतर 25 लाख रुपए से अधिक के खातों के लिये वलिफुल डफिऑल्ट का आकलन करना होगा।**
- ऋणदाताओं द्वारा गठित एक **पहचान समिति** वलिफुल डफिऑल्ट के साक्ष्यों की समीक्षा करती है।
- नीतियों में वलिफुल डफिऑल्टर के लिये गैर-भेदभावपूर्ण फोटो प्रकाशन की आवश्यकता होती है और **वलिफुल डफिऑल्टर की सूची (List of Wilful Defaulters- LWD) से हटाने के बाद 1 वर्ष तक उन्हें कोई ऋण नहीं दिया जाता है; इसके अतिरिक्त LWD हटाने के बाद 5 वर्षों तक नए उद्यमों हेतु किसी क्रेडिट की अनुमति नहीं है।**
- मुख्य देनदारों के खिलाफ कठोर उपाय लागू किये बनि गारंटों का पता लगाया जा सकता है तथा अन्य या ARC को क्रेडिट हस्तांतरित करने से पहले वलिफुल डफिऑल्ट की जाँच आवश्यक है।

वलिफुल डफिऑल्टर/इरादतन चूककर्ता:

- **परचिय:**
 - वलिफुल डफिऑल्टर एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है **जसिमें एक उधारकर्ता, उधार चुकाने की क्षमता होने के बावजूद जानबूझकर ऋण नहीं चुकाता है जसिकी बकाया राशि 25 लाख रुपए या उससे अधिक है।**
 - **बड़े डफिऑल्टर्स से तात्पर्य 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की बकाया धनराशि वाले उधारकर्ताओं से है , जसिके खाते को संदिग्ध या हानिके रूप में वर्गीकृत किये गया है।**
- **वलिफुल डफिऑल्ट बनाने वाली घटनाएँ:**
 - ऐसी स्थिति जब इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है, **जबकि उसके पास उक्त दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है।**
 - जब इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो और **ऋणदाता से प्राप्त वृत्ति का उपयोग उन वशिषिट उद्देश्यों हेतु नहीं किये हो जिनके आधार पर ऋण प्राप्त किये था अर्थात् इस ऋण/धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु किये गया है।**
 - इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में **धन की हेराफेरी और चूक की है, जसिसे धन का उपयोग उस वशिषिट उद्देश्य हेतु नहीं किये गया है जसिके लिये ऋण प्राप्त किये था और न ही इकाई के पास अन्य परसिंपत्तयियों के रूप में धन उपलब्ध है।**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prompt-npa-labeling-for-willful-defaulters>

